



**जोधपुर विद्युत  
वितरण निगम  
लिमिटेड**

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./अ.प्र.नि./मु.अ.(सीपीएम)/अ.अ.(आर.ए.वा.)फा /प्रे. 2062 दि. 14.12.06

**आदेश**

**विषय:** कृषि श्रेणी के अन्तर्गत (सामान्य श्रेणी (मीटर्ड कोड 4000), प्लेट रेट (कोड 4100), विशेष श्रेणी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के फार्म हाऊस कनेक्शन जिन्हें बिजली की आपूर्ति 24 घंटे लगातार नहीं हो रही हो), घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत कुटीर ज्योति एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, छोटे घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं से तदर्थ आधार पर एवं रियायती दरों पर बिलों का भुगतान स्वीकार करने के संबंध में।

पूर्व में निगम द्वारा उपरोक्त विषयान्तर्गत समय-समय पर निम्नलिखित आदेश जारी किये गये थे :-

1. क्रमांक 965 दिनांक 15.09.2005 ( वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/285)
2. क्रमांक 1338 दिनांक 14.11.2005 ( वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/296)
3. क्रमांक 1400 दिनांक 21.11.2005 ( वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/298)
4. क्रमांक 327 दिनांक 03.05.2006 ( वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/296)

उपरोक्त आदेशों के द्वारा कृषि श्रेणी (सामान्य श्रेणी मीटर्ड, कोड - 4000, प्लेट रेट कोड - 4100, विशेष श्रेणी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के फार्म हाऊस कनेक्शन जिन्हें बिजली की आपूर्ति 24 घंटे लगातार नहीं हो रही हो) से तदर्थ आधार पर भुगतान स्वीकार करने के निर्देश जारी किये थे। राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 18 नवम्बर 2006 में यह निर्णय लिया है कि उक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं से बड़ी हुई विद्युत दरों के अनुसार बिजली के बिलों का भुगतान नहीं लेना है और नई व पुरानी दरों के अन्तर को राज्य सरकार वितरण कम्पनियों को अनुदान के रूप में अदा करेगी।

इसी तरह पूर्व में घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत कुटीर ज्योति एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों एवं छोटे घरेलू श्रेणी के वो उपभोक्ता जिनका मासिक खपत 50 यूनिट तक है से रियायती दरों पर बिलों का भुगतान लेने के निर्देश दिये गये थे। राज्य सरकार ने अपने आदेश 18 नवम्बर 2006 में यह भी निर्णय लिया है कि इन श्रेणियों के लिये नई टैरिफ एवं रियायती दर का अन्तर राज्य सरकार अनुदान के रूप में देगी।

उपरोक्तानुसार उपभोक्ता बिलों को जारी करने हेतु मुख्य लेखाधिकारी बिलिंग एजेन्सीज को अलग से आदेश जारी करेंगे।

आज्ञा से




(ए.एम. लोढ़ा)

मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम.)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- ऊर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- आयुक्त, जोधपुर/बीकानेर।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता (जोधपुर/बीकानेर जोन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
- जिला कलेक्टर, जोधपुर/पाली/बाड़मेर/जालोर/चूरु/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर/सिरोही/जैसलमेर।
- वित्तीय सलाहकार एवं लेखा नियन्त्रक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- उप मुख्य अभियन्ता (एम.एम.एण्ड सी.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर को राज्य सरकार से पुर्नभरण प्राप्त करने हेतु।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/पवस/टर्न-की/पीपीएम/एम.एण्ड पी/बी.एफ.एल.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/चूरु/बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/जैसलमेर।
- निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा मंत्री के अवलोकनार्थ।
- निजी सचिव, सलाहकार(एम), राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय सलाहकार(एम) के अवलोकनार्थ।
- सहायक अधिकारी, Ombudsman-Commissioner, Collectorate, जोधपुर।
- अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर (आपके अधिकारियों को भेजने हेतु अतिरिक्त प्रतिया संलग्न।
- प्रावे. सहा. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर/अजमेर/जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर/जयपुर को अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (नगर/जिला/पवस/एम.एम.अंकेक्षण/वाणिज्य/सीपीसी एवं रोकड़) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/चूरु/बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़।
- कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधि ाषी अभियन्ता ( ), जोधपुर डिस्कॉम
- प्रावे. सहा. मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर को मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम.) के अवलोकनार्थ।
- जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- सहायक अभियन्ता ( ), जोधपुर डिस्कॉम (आप के अधीनस्थ कार्यरत समस्त कनिष्ठ अभियन्ताओं की अतिरिक्त प्रतियां संलग्न हैं)।
- माननीय श्री ..... (सांसद/विधायक/जिला प्रमुख) .....



मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम.)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर